इण्डियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस

INDIAN ASSOCIATION FOR THE CULTIVATION OF SCIENCE

2ए और बी, राजा एससी मल्लिक रोड, जादवपुर, कोलकाता - 700 032

2A & B, Raja S.C. Mullick Road, Jadavpur, Kolkata - 700 032

सं./No.: 1.2/892 **दिनांक/Dated: September 26, 2025**

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

माननीय संसदीय राजभाषा समिति की द्वितीय उप-समिति ने 27 अगस्त, 2025 को आयोजित अपनी निरीक्षण बैठक में पाया कि इस कार्यालय में राजभाषा अधिनियम, 1976 के अनुपालन में कमिया पाई गई है। माननीय समिति ने इसे गंभीरता से संज्ञान में लिया है और यह निर्देश दिया है कि आईएसीएस में राजभाषा अधिनियम, 1976 के प्रावधानों का कठोरता से पालन किया जाए। The Second Sub-Committee of the Hon'ble Parliamentary Committee on Official Language in their Inspection meeting held on 27th August, 2025 noted that the Official Language Act, 1976 is not being followed properly in this office. The Hon'ble Committee has taken serious cognizance and directed that the provisions of Official Language Act, 1976 must be followed strictly at IACS.

माननीय समिति ने यह भी पाया कि हिंदी में टिप्पण और प्रारूपण का प्रतिशत न्यूनतम अपेक्षित मानदण्ड अर्थात 60% के अनुरूप नहीं है तथा अगले वर्ष होने वाली अपनी अगली निरीक्षण बैठक से पहले राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन करने का निर्देश दिया है। The Hon'ble Committee has also observed that percentage of noting and drafting in Hindi is not as per the minimum required criteria i.e. 60% and instructed to fully comply with the provisions of official language act before their next inspection meeting, which will held in next year.

उपरोक्त के मद्देनजर, सभी संबंधितों को निर्देश दिया जाता है कि अब से राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित दस्तावेज माननीय संसदीय राजभाषा समिति और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार द्विभाषी रूप (हिंदी और अंग्रेजी) में जारी किए जाएं। In view of the above, all concerned are hereby directed that henceforth the following documents covered under Section 3(3) of the Official Language Act, 1963 must be issued in bilingual form (Hindi and English), as per the directives of the Hon'ble Committee of Parliament on Official Language and the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India.

1. कार्यालय आदेश (कार्यालय ज्ञापन सहित)/Office Orders (including Office Memorandum)
2. संकल्प/Resolutions
3. परिपत्र/Circulars
4. नियम/Rules
5. प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट/Administrative or other Reports
6. अधिसूचना/Notifications
7. संविदा/Contracts
8. करार/Agreements
9. प्रेस विज्ञप्तियाँ/संचार - Press Releases/Communiques
10. निविदा प्रपत्र/Tender Forms
11. निविदा सूचनाएँ/Tender Notices
12. लाइसेंस/Licenses
13. परमिट/Permits
14. संसद के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्टें/Administrative and other reports to be laid before Parliament.

Contd.../p-2

सभी संबंधित वर्ग यह नोट करें कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का उल्लंघन केन्द्र सरकार के उच्चतम स्तर पर गंभीरता से लिया जाता है। All concerned sections may note that violation of Section 3(3) of the Official Language Act, 1963 is viewed seriously at the highest level of the Central Government.

सभी संबंधितों के ध्यान में यह भी लाया जाता है कि कार्यालय में राजभाषा के प्रयोग को यथासंभव प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिनांक 14.09.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12013/01/2011-रा.भा.(नीति) के अनुरूप, सरकारी कामकाज में हिंदी में टिप्पण/प्रारूपण के लिए आईएसीएस के कर्मचारियों के लिए नकद प्रोत्साहन की शुरुआत 1 अप्रैल 2025 की जाती है, जो इस प्रकार है: This is also brought to the notice of all concerned that to encourage the use of official language at office as much as possible, cash incentive is hereby introduced w.e.f. 1st April, 2025 for the employees of IACS for noting/drafting in Hindi in official work in line with the O.M. No. 12013/01/2011-रा.भा.(नीति) dated 14.09.2016 issued by the Government of India, Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, which is as follows:

प्रथम पुरस्कार (2 पुरस्कार)/First Prize (2 prizes)	:	प्रत्येक/Each ₹ 5,000/-
द्वितीय पुरस्कार (3 पुरस्कार)/Second Prize (3 prizes)	:	प्रत्येक/Each ₹ 3,000/-
तृतीय पुरस्कार (5 पुरस्कार)/Third Prize (5 prizes)	:	प्रत्येक/Each ₹ 2,000/-

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of the Competent Authority.

Sarbani Saha

(Sarbani Saha)
कुलसचिव / Registrar

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित/Copy forwarded for information & necessary to :-

1) Director's Office, 2) All Deans, 3) All Chairs of Schools, 4) Prof. Prashant Chandra Singh, Faculty In-Charge of Hindi Cell, 5) Head, Department/Section/D-Office/R-Office... with a request to bring it to the notice of all staff members working under them, 6) Internal Audit Wing, 7) Hindi Cell, 8) Webmaster for Broadcast